राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 504/2011/श्रीगंगानगर

मैसर्स इंड्योर प्रा0लि0, सूरतगढ़,
श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी.

बनाम

इंचार्ज चैक पोस्ट, रतनपुर
हाल–सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–डूंगरपुर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/03/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 161/आरवेट/सूरतगढ़/2008–09 निर्णय दिनांक 19.08.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2008 को वाहन संख्या एच.आर.–55–डी–6155 को प्रभारी जांच चौकी रतनपुरा चौराहा जिला हनुमानगढ़ द्वारा चैक किया गया। वाहन में TMT सरिया लदा हुआ था। वाहन चालक द्वारा मालके बिल व बिल्टी मय फार्म 47 नम्बर 1780577 के पेश किये। जांच पर पाया गया कि फार्म 47 नम्बर 1780577 पूर्णतया खाली था। इसमें Nature of Transaction, invoice No. Date, nature of goods etc भरे हुये नहीं थे। चूंकि TMT Bars लोहा सरिया एक अधिसूचित वस्तु है अतः फार्म आवश्यक है, एवं वह भी पूर्णतया भरा हुआ। जबकि मौके पर पाया गया फार्म 47 नम्बर 1780577 पूर्णतया खाली था। यह धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त उल्लंघन हेतु धारा 76(6) of RVAT Act के तहत शास्ति रूपये 308110/– आरोपित कर दी गयी। उक्त शास्ति आदेश दिनांक 22.02.2008 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को उचित बताते हुये अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी गयी। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी एक Works Contract का ठेकेदार है। उसे RVUN Ltd. सूरतगढ़ द्वारा रूपये 185 करोड़ का Works Order दिया गया है। जिसका उसके द्वारा ईसी लिया हुआ है। उक्त ईसी के तहत Works Order में प्रयुक्त करने के लिए उसके द्वारा Steel Authority of India Ltd. गाजियाबाद से उनके बिल नं. 0031557 दिनांक 19.02.2008 से रूपये 10,27,034/– का TMT सरिया क्रय किया था। जिसके साथ बिल्टी व फार्म 47 नं. 1780577 भी संलग्न था। परन्तु लिपिकीय भूल से फार्म में कुछ कालम भरे हुये नहीं थे। उसमें माल भेजने वाली फर्म व उसके टिन नं. अंकित थे। अतः ऐसी परिस्थितियों में उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रकरण में दिये गये निर्णय को आधार बनाकर जो शास्ति आरोपित की गयी है वह पूर्णतया अनुचित है। उन्होंने कथन किया कि Steel Authority of India Ltd. सरकारी उपक्रम है तथा एडवान्स में ड्राफ्ट लेकर "सी" फार्म पर माल का विक्रय किया है। इसमें कोई कर चोरी की नियत नहीं है। अतः आरोपित शास्ति अनुचित होने से अपास्तनीय है। साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे यथावत रखने में भी भूल की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने कथन किया कि परिवहनित माल TMT सरिया है जो अधिसूचित वस्तु है। अतः फार्म आवश्यक था एवं फार्म पूर्णतया खाली था। अतः शास्ति उचित रूप से कायम की गयी है अतः अपील को अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेजों के बिल, बिल्टी व फार्म 47 संलग्न थे परन्तु फार्म 47 के सभी महत्वपूर्ण कॉलम खाली थे। उक्त तथ्य पूर्णतया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रकरण से आच्छादित है अतः शास्ति देय बनती है। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से यह शास्ति आरोपित की गयी है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे नियमानुसार यथावत रखा है ऐसी परिस्थितियों में दोनों अधिकारियों के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

5-3-14

(अमर सिंह)
सदस्य